बिहार सरकार

अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0– 5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014(खण्ड)– 112

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक – 03.01.18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में संकल्प संख्या–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना" के तहत् बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2017 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/– (दस हजार रू0) एवं ₹ 8000/– (आठ हजार रू0) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्राओं को क्रमशः ₹15,000/– (पन्द्रह हजार रू0) एवं ₹10000/– (दस हजार रू0) की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में ₹6273.22 लाख (बासठ करोड़ तिहत्तर लाख बाईस हजार रू0), अनु0 जनजाति मद में ₹766.52 लाख (सात करोड़ छियासठ लाख बावन हजार रू0) तथा इंटर उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में ₹1375.00 लाख (तेरह करोड़ पचहत्तर लाख रू0), अनु0 जनजाति मद में ₹334.35 लाख (तीन करोड़ चौतीस लाख पैतीस हजार रू0) अर्थात कुल 8749.09 लाख (सतासी करोड़ उनचास लाख नौ हजार रू0) मात्र की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपबंधित राशि एवं उद्व्यय के आलोक में राज्य स्कीम मांग सं0–44 के अन्तर्गत **अनुसूचित जाति** के लिए आय–व्ययक मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0107–शिक्षा– विषय शीर्ष– 0107.34.01– छात्रवृत्ति/वजीफा– विपत्र कोड– 44–2225012770107 तथा **अनुसूचित जनजाति** के लिए मांग सं0–44 के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा– विषय शीर्ष–0101.34.01– छात्रवृत्ति/वजीफा– विपत्र कोड– 44–2225022770101 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

3– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्णता के अनुसार सम्बंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जाएगा।

4– इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्यां–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5– शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी मेधावृति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से सीधे संबंधित लाभुकों के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। मेधावृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6– राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– इस राशि की स्वीकृति आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014(खण्ड)–के पृ0–76/टि0 पर प्राप्त है।

8– इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9– स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एव बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3.1.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– **5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014(खण्ड)–** 112 पटना, दिनांक– 03.01.18

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/ सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति /सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.1.18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– **5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014(खण्ड)–** 112 पटना, दिनांक– 03.01.18

प्रतिलिपि सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.1.18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– **5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014(खण्ड)–** 112 पटना, दिनांक– 03.01.18

प्रतिलिपि अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

3.1.18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– **5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014(खण्ड)–** 112 पटना, दिनांक– 03.01.18

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

3.1.18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– **5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014(खण्ड)–** 112 पटना, दिनांक– 03.01.18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

3.1.18
सरकार के सचिव।